

मानवाधिकार

विनोद कुमार

vk17273@gmail.com

भूमिका

विकास के प्रारम्भिक दौर में मानव को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं था। जो उस समय बलशाली होते थे, वे जाने-अनजाने में दूसरों के अधिकारों का हनन करते थे। धीरे-धीरे शिक्षा और सभ्यता के विकास के साथ-साथ मानव का मन-मस्तिष्क भी परिष्कृत होता गया और अधिकार बोध के साथ-साथ उसमें अधिकारों को पाने की लालसा भी जाग उठी और तब मानव ने अपनी बुद्धि और विवेक से 'खुद जियो औरों को भी जीने दो' का सिद्धान्त गढ़ा।

प्रस्तावना

मानवाधिकार वे मूल अधिकार हैं, जिनका उपयोग करने के लिए नागरिक अधिकृत है जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जिविकोपार्जन का अधिकार, वैचारिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जैसे मूलभूत अधिकार मानवाधिकार के ही अन्तर्गत आते हैं। विश्व के अधिकांश देशों में ये अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। वैसे तो मानवाधिकारों की अवधारणा का इतिहास बहुत पुराना है, मानवाधिकारों का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रन्थों, जैसे मनुस्मृति, हितोपदेश, पंचतंत्र तथा प्राचीन यूनानी दर्शन आदि में मिलता है। जार्ज पंचम ने इंग्लैंड में 1215 में मेग्नोकार्टा में नागरिकों अधिकारों का उल्लेख किया था। 1525 ई. में जर्मनी के किसानों द्वारा प्रशासन से मांगे गए अधिकारों की 12 धाराओं को यूरोप में मानवाधिकारों का प्रथम दस्तावेज कहा जाता है। 1789 में फ्रांस में राज्य कान्ति के फलस्वरूप वहां की राष्ट्रीय सभा ने नागरिकों के अधिकारों की घोषणा के फलस्वरूप विश्व में समानता, उदारता एवं बंधुत्व के विचारों को बल मिला।

अमेरिका में 1776 में संविधान बनाया तो 10 वर्षों के अन्दर ही 10 मूल अधिकार जोड़े गए।

जॉर्ज वाशिंगटन:- अमेरिका के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम नेता थे, ने कहा था कि सभी मानव जन्म से स्वतंत्र हैं और समानता के व्यवहार के अधिकारी हैं।

अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति:- 1801 में कहा था कि हम सत्य को प्रमाणित मानते हैं कि सब मनुष्य समान रूप से जन्म लेते हैं और जन्मदाता ने इन्हें जन्म से ही कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं, जिनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता।

एतिहासिक परम्पराएं

यूरोपिय परम्परा में, मनुष्यों को कुछ अधिकार प्रदान हैं जो सार्थक और सम्मानित जीवन जीने के लिए आवश्यक है। ऐसे अधिकारों को मानव-अधिकार कहा जाता है। मानव अधिकार का अभिप्राय विशेष प्रकार के उन नैतिक अधिकारों से है जो उनकी मानव अवस्था होने के कारण समान रूप से सब पर लागू होते हैं चाहे उनकी मूल मानव जाति, राष्ट्रीयता कोई भी है, अथवा वे किसी विशेष सामाजिक समूह के सदस्य ही क्यों न हों।

गैर-सरकारी संगठन एवं अन्तराष्ट्रीय संगठन

अनेक देशों में विभिन्न स्वरूपों में स्थापित की गई ओम्बडसमैन एक अनोखी संस्था है जो सरकारों, सरकारी पदाधिकारी अथवा अभिकारणों के अन्यायपूर्ण कृत्यों के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करती है। इसकी उत्पत्ति स्वीडन में 1809 में स्वतंत्र अभिकरण द्वारा सार्वजनिक शिकयते दूर करने के संदर्भ में हुई।

अमेनस्टो इंटरनैशनल

अमेस्टी इंटरनैशनल की स्थापना 1961 में लंदन में हुई। इसके दस लाख से ज्यादा सदस्य हैं जो 150 देशों में फैले हुए हैं। इसका उद्देश्य है, अन्तःकरण बन्दियों को छुड़ाना है अर्थात् वे लोग जो अपने विश्वास, रंग, लिंग, प्रजातिय उत्पत्ति भाषा अथवा धर्म के आधार पर बन्दी बनाए गए हैं तथा जिन्होंने हिंसा का प्रयोग अथवा समर्थन नहीं किया।

ह्युमन राइट्स वाच

ह्युमन राइट्स वाच ने 1978 में अपनी यात्रा आरम्भ की थी, इसे हेलसिन्की वॉच कहा जाता था। इसका उद्देश्य है संसार के विभिन्न भागों में लोगों के मानव-अधिकारों की रक्षा करना है। यह संगठन राजनीति स्वतंत्रता की परिपुष्टि के लिए, युद्ध की अवस्था में लोगों को अमानवीय व्यवहार से बचाने के लिए तथा अपराधियों को न्यायालय तक लाने के लिए हम पिडितों तथा सक्रियवादियों के साथ है।

कॉमनवैल्थ ह्युमन राइट्स इनिशिएटिव

यह अन्तराष्ट्रीय-गैर सरकारी संगठन है। 1985 से काम कर रहा है। पहले इसका मुख्यालय लंदन स अब दिल्ली में स्थानांतरित कर लिया। यह संगठन कॉमनवैल्थ देशों में बढ़ते हुए मानव-अधिकार उल्लंघनों पर प्रकाश डालने के साथ उनकी प्रकृति की तह तक पहुंचता है तथा अन्तराष्ट्रीय मानदंडों के शीघ्रातिशीघ्र अनुपालन का समर्थन करता है।

एंटी-सलेवरी इंटरनैशनल फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ ह्युमन राइट्स

एंटी-सलेवरी इंटरनैशनल फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ ह्युमन राइट्स एक अन्तराष्ट्रीय-गैर-सरकारी संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक व आर्थिक परिषद, अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनिस्को तथा यूनिसेफ के साथ परामर्श स्तर पर जुड़ी हुई है। इसे नस्ल विरोधी समिति भी कहते हैं। इस संगठन को 1909 में एबओरिजिन प्रोटेक्शन सोसाइटी में मिला दिया गया है।

राष्ट्रीय मानव-अधिकार संस्थाएं

मानव अधिकारों के प्रोत्साहन तथा संरक्षण के रचनातंत्र के रूप में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाएं अपेक्षाकृत नूतन प्रयास है। ये ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से राज्य अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर मानव अधिकारों की गारंटी के लिए अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सके हैं ये (छब्बे) कानून द्वारा स्थापित स्वायत्त सत्ताएं होती हैं जिनका कार्य देश के लोगों के मानव-अधिकार सुरक्षित करना होता है।

मानव अधिकारों का सम्मेलन

मानव अधिकारों पर पहला विश्व सम्मेलन 1968 में तेहरान में हुआ था जो कि कारणवश प्रमाणिक अर्थ तथा क्रियान्वयन की शक्ति प्राप्त नहीं कर सके। मानव-अधिकारों का दूसरा विश्व सम्मेलन आष्टोया की राजधानी वियना में 14 से 25 जून 1993 को हुआ इसमें सरकारों के प्रतिनिधियों तथा अन्तराष्ट्रीय मानव-अधिकार समुदाय ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। 175 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह कार्यालय 20 दिसम्बर 1993 को स्थापित किया गया तथा संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा जॉस आयल्स लासो को इसका पहला उच्च आयुक्त मनोनीत किया गया। उच्चायुक्त ने 5 अप्रैल 1994 से कार्यभार संभाला।

मानवाधिकारों का हवन

पहला विश्वयुद्ध में 1914-18 के दौरान भारी संख्या में मानवों के अधिकारों का हनन हुआ था जिसे-बलात्कार, जबरन हत्या, लूटमार इत्यादि हिंसा के तरीके अपनाए गए थे जिसे मानव जाति का नरसंहार हुआ था।

दूसरा विश्वयुद्ध हुआ 1939-45 के दौरान तब भी मानव जाति का अंत नजदीक दिखने लगा क्योंकि विश्व दो भागों में बंट गया था। इन युद्धों को देखते हुए यह महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र का प्रारूप मानवाधिकार आयोग द्वारा तैयार किया गया, जिसे महासभा ने कुछ संशोधन के साथ 10 दिसम्बर 1948 को स्वीकार किया। घोषणा को 10 दिसम्बर को स्वीकार करने के कारण सम्पूर्ण विश्व में इस तारीख को मानवाधिकार दिवस (मनउंद त्पहीज वंल) के रूप में मनाया जाता है। इस घोषणा को मैग्नाकार्टा भी कहा जाता है। यह घोषणा मानवाधिकारों की सार्वभामिकता को घोषित करती है।

मानवाधिकार की विभिन्न विकास की घोषणाएं

संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945

मानवाधिकार आयोग 1946

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948

नरसंहार के अपराध रोकने एवं दण्ड से संबंधित प्रसंविदा 1948

युद्ध बन्धियों से संबंधित जनेवा प्रसंविदा 1949

यूरोपिय मानवाधिकार प्रसंविदा 1950

आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की अन्तराष्ट्रीय प्रसंविदा 1966

सिविल व राजनैतिक अधिकारों की अन्तराष्ट्रीय प्रसंविदा 1966

सिविल व राजनैतिक अधिकारों की प्रसंविदा का ऐच्छिक प्रोटोकॉल 1966

शरणार्थियों की प्रास्थिति से संबंधित प्रोटोकॉल 1967

विश्व मानवाधिकार सम्मेलन (तेहरान) 1968

अमेरिका मानवाधिकार प्रसंविदा 1969

विकलांगों की घोषणा 1975

आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा को लागू करना 1976

सिविल व राजनैतिक अधिकारों की प्रसंविदा का प्रोटोकॉल लागू करना 1976

महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर प्रसंविदा 1979

बाल न्याय प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र के स्टैण्डर्ड मिनिमस रूल्स 1985

बंदी गृह में रखे व्यक्तियों की रक्षा से संबंधित नियमों का समूह 1988

सिविल व राजनैतिक अधिकारों की प्रसंविदा का द्वितीय वैकल्पिक प्रोटोकॉल 1989

बाल अधिकार प्रसंविदा 1989

स्वैच्छिक मानवाधिकार न्याय कोष की स्थापना की घोषणा 1991

राष्ट्रीय अथवा जातीय, धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा 1992

विश्व मानवाधिकार सम्मेलन, वियना 1993

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का गठन 1993

मानवाधिकार हॉट लाईन की स्थापना 1994

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर मानवाधिकार परिषद का गठन 2006

संयुक्त राष्ट्र जनरल असेम्बली ने अगस्त 2010 में एक प्रस्ताव पारित कर स्वच्छ जल और स्वच्छता दो नए मानवाधिकारों को मान्यता प्रदान की है।

संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों की औपचारिक घोषणा 10 दिसम्बर 1948 को की तो विभिन्न देशों के संविधानों में जीवन की सुरक्षा, मानवीय स्वतंत्रता सुख की प्राप्ति की घोषणा तो होगी ही। इसके आधार पर भारतीय संविधान में विभिन्न मानव अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है जैसे संविधान भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे संरक्षण के प्रतीक है।

उदाहरण :-

मानव-अधिकारों का अतिक्रमण और चुनौतियां

भारत देश में राज्यतंत्र का दुरुपयोग 1975-77 आपात घोषित करके किया गया था। प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने दिनांक 25 जून 1975 के मध्यरात्रि को आपातकाल की घोषणा मौलिक अधिकारों का निलंबन तथा मानव अधिकारों का अतिक्रमण किया। शीर्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया और यातनाएं दी गईं। 1971 में मिसां कानून पास किया, जो 21 माह तक जेल में कोई जमानत नहीं थी। 1980 में सुरक्षा अधिनियम पास किया जो कि मानवता का कूर किया गया था। अक्टूबर 1984 में दिल्ली में सिखों पर अत्याचार का कहर बरपाया था जो कि एक नरसंहार था, मानवता को शर्मसार किया गया था। 2-3 दिसम्बर 1984 को भापाल में गैस लिकेज से वहां पर मानव जाति में जलान, चर्मरोग, अंधापन, जहरीला वातावरण यानि मानवों की विध्वंस होने में कोई कमी नहीं हुई थी। 2001 में भारतीय दिल दिल्ली पर आतंकी हमला हुआ था जो कि एक गहन चिंता की बात है।

उदाहरण :-

9 दिसम्बर 2001 को अमेरीका में न्यूयार्क में वर्ल्ड टड सेंटर पर सुनियोजित आतंकवादी आक्रमण ऐसा माना जाता है कि दो घंटों की दिल दहला देने वाली घटना लगभग 3000 हजार व्यक्तियों को जान से हाथ धोना पडा।

26 नवम्बर 2008 को मुंबई पर आक्रमण तथा इसके परिणाम मानव-अधिकारों के लिए काफी मुश्किल सवाल खड़े कर रहे हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अथवा समूह किस प्रकार विश्वास करेगा कि इस प्रकार के कृत्य, जो जानबूझ कर मानव अधिकारों में सबसे मूल अधिकार अर्थात जीवन के अधिकार को समाप्त करने की योजना है।

उदाहरण :-

अमेरिका में काले लोगों को राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने संविधान में समानता का हक दिलाया था जो कि 1865 में उसकी हत्या कर दी गई थी।

उदाहरण :-

2013 में पाकिस्तान के काराग्रह में मौत की सजा काट रहे भारतीय कैदी सरबजीत सिंह वहीं के कैदियों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने पर उसकी मृत्यु हो गई। महिला शिक्षा प्रचार-प्रसार से जुड़ी पाकिस्तानी किशोरी मलाला यूसुफजइ को, जिस पर तालिबानी आतंकवादियों ने जानलेवा हमला किया था।

उदाहरण :-

दक्षिण अफ्रिका में नेल्सन मण्डेला को काले लोगों को समानता दिलवाने में 27 वर्ष का कारावास झेलना पड़ा था।

पाकिस्तान में आर्मी स्कूल पेशावर में आतंकवादियों ने सरेआम स्कूली बच्चे मौत के घाट उतारे थे।

आए दिन आतंकवादी संगठनों द्वारा पत्रकारों की भी निर्मम हत्या कर दो जाती है। जैसे जापान में हुए थे। एक फरवरी 2015 को आईएस ने जापानी पत्रकार को सिर कलम किया था। आकोशित जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसके लिए आतंकवादियों को कभी माफ नहीं करने का संकल्प लिया था। सिरिया में भी आतंकवादी कहर खत्म करने के लिए मानव जाति का विध्वंस हो रहा है जो साथ-साथ पर्यावरण परिवेश को भी जहरीला बनता जा रहा है। लग रहा है कि मनोवैज्ञानिक रूप से आतंकवादियों ने मानव जाति को विकलांग बनाकर रख दिया है।

कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की पंक्ति को सर्वदा याद रखना चाहिए—

जो जीवन में दूसरों के प्रति न अपने अधिकार मानता है और कर्तव्य, वह पशु समान है।

निष्कर्ष

मानव परिवारों के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव, सम्मान तथा अविच्छिन्न अधिकार की स्वीकृति ही विश्व-शान्ति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है। अतः सम्पूर्ण मानवता की रक्षा के लिए विश्व समुदाय को खुलकर मानवाधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।

सन्दर्भ सूची

प्रोफेसर डी गोपाल राजनीतिक संकाय सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ इग्नू नई-दिल्ली।

मानव अधिकार: विकास, अवधारणाएं तथा मुद्दे।

सुभाष काश्यप: भारत का संविधान और संवैधानिक विधि।

किरण कम्पीटिशन टाईम्स

योगेश चन्द्र जैन, अरिहन्त पब्लिकेशन (इण्डिया) लिमिटेड

इंटरनेट.